न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 21/2012 दायर दिनाँक 07.02.2012

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. हड़मान पुत्र पदमाराम, उम्र–65साल, 2. भँवरलाल पुत्र भगवानाराम, उम्र–35साल, 3. तनसुखराम पुत्र भगवानाराम, उम्र–35साल, 4. घनश्याम पुत्र भगवानाराम, उम्र–30साल, 5. कँवरीदेवी पत्नी भगवानाराम, उम्र–70साल, समस्त,जाति–माली, निवासी–हरनारायणबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रसीदखाँ पुत्र ममदुखाँ (फौत), 1/1 रफीक उर्फ अमजदखाँ पुत्र रसीदखाँ, 1/2 सफीक पुत्र रसीदखाँ, 1/3 हेना पुत्री रसीदखाँ, 1/4 मिना खातन पुत्री रसीदखाँ, 2. मजीदखाँ पुत्र ममदुखाँ, 3. नवाब खातुन पुत्री ममदुखाँ, 4. फजलू खाँ पुत्र अन्नुखाँ, 5. गुलाम कासम खाँ पुत्र गुलाम रसूल खाँ, 6. गुलाम अब्बास खाँ पुत्र गुलाम रसूल खाँ, समस्त,जाति–पठान, निवासी–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री नेमीचन्द शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की ओर से।
3. श्री शरीफ खाँ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **06.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वाकै शरहद पठानों का बाढ सिंघाना, डीडवाना के खसरा नम्बर 33 रकबा 19.10 बीघा भूमि वादी हणमान व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 के पिता व पति स्वर्गीय भगवानाराम ने संयुक्त रूप से खरीद की मगर उस वक्त

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

भगवानाराम हाजिर नहीं होने के कारण रजिस्ट्री में नाम नहीं करवाया मगर उक्त भूमि दौनों के बराबर–बराबर रूपये लगे थे जिस भूमि के पडौस अगूण मे गुलाम रसूल, ममदुखाँ पठान का खेत, आथूण में कालूखाँ पठान का खेत, उमराद में सिरदारखाँ कायमखानी का खेत तथा दिखणाद में इमाम खाँ का खेत के मध्य की भूमि खरीद की थी। वर्तमान में उसी भूमि पर वादीगण काबिज हैं। नकल पेश है। शरहद पठानों का बाढ, सिंघाना डीडवाना के खेत खसरा नम्बर 40 रकबा 19.13 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के कब्जाकाश्त व खातेदारी की है। जिस भूमि में वादीगण का कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा है। खतौनी की नकल पेश है। वादीगण का कब्जाकाश्त खसरा नम्बर 33 रकबा 19.10 बीघा पर ही है तथा प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त खसरा नम्बर 40 रकबा 19.13 बीघा पर है जिस भूमि को वादीगण ने नजरीनक्शा में मार्क क ख ग घ में दर्शाया है। नजरीनक्शा में मार्क अ ब स द में प्रतिवादीगण की भूमि को दर्शाया है जो नजरीनक्शा अनुसूची "अ" है जो दावा का अहम हिस्सा है। वादीगण का कब्जाकाश्त खसरा नम्बर 33 रकबा 19.10 बीघा खरीद करने के समय से ही चला आ रहा है। उक्त भूमि में से उतर का 1/2 हिस्सा वादीगण संख्या 02 ता 05 का है उस हिस्से में एक कमरा व पानी का होद बना रखा है तथा दक्षिणी 1/2 भाग वादी हणमान का है। सम्वत् 2031–34 की गिरदावरी में वादीगण का कब्जाकाश्त खसरा नम्बर 33 में है तथा खसरा नम्बर 40 में प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त है। गिरदावरी की पेश है।

प्रार्थना वादीगण है कि–

शरहद पठानों का बाढ पटवार क्षेत्र सिंघाना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला नागौर में खसरा नम्बर 33 रकबा 19.10 बीघा नजरीनक्शा में मार्क क ख ग घ का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 07 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 रसीद के फौत होने पर कायम मुकाम का आवेदन पेश हुआ जो स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की ओर से जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाकै शरहद पठानों का बाढ पटवार क्षेत्र सिंघाना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला नागौर में खसरा नम्बर 40 रकबा 19.13 बीघा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

भूमि प्रतिवादीगण के कब्जाकाश्त में है इसलिए जरिये काउण्टर क्लेम के प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान वकील श्री अजीतसिंह राठौड़ ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री शरीफ खाँ ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के मुताबिक– शरहद पठानों का बाढ पटवार क्षेत्र सिंघाना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला नागौर में खसरा नम्बर 33 रकबा 19.10 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्सा दक्षिणी वादी हड़मान के कब्जाकाश्त व बन्ट तथा 1/2 उतरी हिस्सा वादीगण भँवरलाल, तनसुख, घनश्याम व कँवरीदेवी के कब्जाकाश्त व बन्ट की घोषित की जावे। शरहद पठानों का बाढ पटवार क्षेत्र सिंघाना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला नागौर में खसरा नम्बर 40 रकबा 19.13 बीघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के संयुक्त खातेदारी में घोषित की जावे।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वाद में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा के मुताबिक पक्षकारान् वकुलाय सहमत हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनाम हो चुका है। पक्षकारान् राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमत हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। शरहद पठानों का बाढ पटवार क्षेत्र सिंघाना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला नागौर में खसरा नम्बर 33 रकबा 19.10 में से 1/2 दक्षिणी हिस्सा की खातेदारी वादी हड़मान के नाम से घोषित किया व शेष 1/2 भाग उतरी की खातेदारी प्रतिवादीगण भँवरलाल, तनसुखराम, घनश्याम व कँवरीदेवी के नाम से घोषित जाना और हड़मान के हिस्से में से बकाया वादीगण के हिस्से में आने–जाने का रास्ता रखा जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है। शरहद पठानों का बाढ पटवार क्षेत्र सिंघाना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला नागौर में खसरा नम्बर 40 रकबा 19.13 बीघा की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 के नाम से घोषित किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद वादीगण पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 21/2012
दायर दिनाँक 07.02.2012, निर्णय दिनाँक 06.11.2017
हड़मान, वगैरा बनाम् रसीदखाँ, वगैरा।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद पठानों का बाढ पटवार क्षेत्र सिंघाना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला नागौर में खसरा नम्बर 33 रकबा 19.10 बीघा में से, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित मार्क क ख ग घ मुताबिक, रकबा दक्षिणी 1/2 हिस्सा का वादी हड़मान को तथा इस खसरे का शेष हिस्सा उतरी 1/2 हिस्सा का वादीगण भँवरलाल, तनसुखराम, घनश्याम व कँवरी को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शरहद पठानों का बाढ पटवार क्षेत्र सिंघाना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला नागौर में खसरा नम्बर 40 रकबा 19.13 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **06.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **21/2012** दायर दिनाँक **07.02.2012**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. हड़मान पुत्र पदमाराम, उम्र–65साल, 2. भँवरलाल पुत्र भगवानाराम, उम्र–35साल, 3. तनसुखराम पुत्र भगवानाराम, उम्र–35साल, 4. घनश्याम पुत्र भगवानाराम, उम्र–30साल, 5. कँवरीदेवी पत्नी भगवानाराम, उम्र–70साल, समस्त,जाति–माली, निवासी–हरनारायणबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. रसीदखाँ पुत्र ममदुखाँ (फौत), 1/1 रफीक उर्फ अमजदखाँ पुत्र रसीदखाँ, 1/2 सफीक पुत्र रसीदखाँ, 1/3 हेना पुत्री रसीदखाँ, 1/4 मिना खातन पुत्री रसीदखाँ, 2. मजीदखाँ पुत्र ममदुखाँ, 3. नवाब खातुन पुत्री ममदुखाँ, 4. फजलू खाँ पुत्र अन्नुखाँ, 5. गुलाम कासम खाँ पुत्र गुलाम रसूल खाँ, 6. गुलाम अब्बास खाँ पुत्र गुलाम रसूल खाँ, समस्त,जाति–पठान, निवासी–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **06.11.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादीगण व श्री नेमीचन्द शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 व श्री शरीफ खाँ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद पठानों का बाढ पटवार क्षेत्र सिंघाना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला नागौर में खसरा नम्बर 33 रकबा 19.10 बीघा में से, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित मार्क क ख ग घ मुताबिक, रकबा दक्षिणी 1/2 हिस्सा का वादी हड़मान को तथा इस खसरे का शेष हिस्सा उतरी 1/2 हिस्सा का वादीगण भँवरलाल, तनसुखराम, घनश्याम व कँवरी को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

शरहद पठानों का बाढ पटवार क्षेत्र सिंघाना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला नागौर में खसरा नम्बर 40 रकबा 19.13 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'', निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.................. ..–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **06.11.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner